शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नगर निगम, कोटद्वार की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. श्री शैलेश बगोली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री हरि ओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– कोटद्वार नगर की कूडा निस्तारण एवं प्रबन्धन की वर्तमान में समुचित व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अन्तर्गत नगर पंचायत, कोटद्वार की सीमा के अन्तर्गत प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले घरेलू एवं व्यवसायिक कूडे के समुचित निस्तारण एवं प्रबन्धन की आवश्यकता के सन्दर्भ में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना गठित की गयी है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :– अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है।

3. **योजना प्राविधान** :– योजना में निम्नलिखित प्राविधानित किये गये है :–

- Processing shed 65 x 40m.
- Boundary wall 620m
- Gate
- Security Room cum weighbridge office 3 x3m
- Office building 12 x 6m
- Storm water drain 700m
- Green Belt 3600 sqm
- Rain water holding tank
- Leacheate holding tank
- Road 280m
- Parking 12 x 6m
- Storage yard cum power room 12 x 6
- Sanitary landfill
- Leachate sump
- Weigh Bridge
- Site Development
- Washing facility
- Leacheate collection tank.

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01 जून, 2021 में सम्पन्न हुई।

4.2 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 16.04.2021 के अनुपालन में उक्त कूडे के प्रसंस्करण एवं निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

4.3 शेड निर्माण कार्यो हेतु सॉयल बियरिंग कैपेसिटी एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग डी0पी0आर0 में संलग्न नहीं है, प्रशासनिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेगी।

4.4 योजना में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी भवनों, कार्यालयों/ प्रतिष्ठानों से 100 प्रतिशत कूडे का घर–घर से उठाये जाना तथा सोर्स पर पृथ्थकीकरण की व्यवस्था सम्मिलित है।

4.5 वर्तमान में कुल Solid Waste Generation 47 एम0टी0 के सापेक्ष केवल 31 एम0टी0 की processing की जा रही है।

4.6 योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप के 35 प्रतिशत एवं शेष 65 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

4.7 उपरोक्तानुसार स्वच्छ भारत मिशन द्वारा रू0 479.48 लाख केन्द्रांश के रूप में एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 724.0 लाख तथा 15 वें वित्त आयोग से रू0 166.43 लाख (Boundary wall Rs 85.39 Lakh, Gate हेतु रू0 1.10, कार्यालय भवन हेतुरू0 14.17 लाख, जल निकासी हेतु नालियों के लिए रू0 24.25 लाख गार्ड रूम हेतु रू0 3.16 लाख पहुॅच मार्ग (280 मीटर) हेतु रू0 38.36 लाख) का व्यय भार नगर निगम, कोटद्वार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

4.8 कूडा निस्तारण एवं प्रबन्धन के लिए 0.998 हेक्टेयर वन भूमि हेतु भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार में प्रेषित किया गया है।

4.9 कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार आधार वर्ष 2019 पर 1,35,600 एवं डिजाइन वर्ष 2039 में 1,80,794 है, योजना का डिजाइन Period 20 वर्ष रखा गया है।

4.10 वर्तमान में प्रतिदिन औसत कूडा उत्पादन 47 टन तथा डिजाइन (वर्ष 2039) में प्रतिदिन 76 टन आंकलित किया गया है जिसका निस्तारण 16 Tata Ace, 04 Tractor Trally, 2 Dumper, 1 bin Lifter, 1 JCB, 230 Handcarts के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

4.11 Primary Collection हेतु निम्न वाहन/उपकरणों की आवश्यकता अवगत करायी गयी है :–

1. 250 wheel barrow- 140 litre के container सहित।
2. 8 संख्या ई–रिक्सा 450 लटर कंटेनर के साथ।
3. 22 संख्या आटो टियर–2 घन मीटर कंटेनर के साथ।
4. 04 संख्या आटो टियर Four Wheeler – 2 घन मीटर कंटेनर सहित।
5. 06 संख्या Tractor ट्राली सहित।
6. 03 संख्या Steer loader।

4.12 योजना में शत–प्रतिशत कूडे का पृथकीकरण का उद्देश्य है जिस हेतु 237 स्वच्छता कार्यकर्ता, 10 Supervisor, 02 Sanitary Inspector 16 ड्राइवर एवं महोल्ला स्वच्छता समिति कार्यरत है।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.13 योजना में घरेलू एवं व्यवासयिक क्षेत्रों से शत–प्रतिशत Door to Door एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

4.14 237 सफाई कर्मचारियों के लिए पी0पी0पी0 उपकरण दिये जाने जाना प्रस्तावित है।

4.15 नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

4.16 Waste Disposal Management Rules-2016 में उल्लिखित पर्यावरण सम्बन्धी मानकों का पालन किया जाय।

4.17 मा0 एन0जी0टी0 के मानकों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4.18 कूडे के Processing उपरान्त end product की वास्तविक उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही भुगतान किया जाय।

4.19 योजना क्रियान्वयन में कोई सामाजिक/पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न हो, इस हेतु सभी Preventive measure लिये जाये तथा उनका शत–प्रतिशत अनुपालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

4.20 परियोजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item Description	DSR	SOR	NSI
1	Source Segregation Storage			26.83
2	Collection and Transportation of Waste			121.88
3	Personnel Protection Equipment			
4	Materials and Machinery			170.34
5	Civil Work	895.46		108.54
6	Environmental Monitoring			17.56
7	IEC			11.60
8	Decentralize segregation shade (30 x 15) feet		17.71	
	Sub Total	**895.46**	**17.71**	**456.78**
	Grand Total	**1369.95**		

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1369.95 लाख

4.21 योजना में **रू0** 151.64 **लाख की** कटौती मात्राओं में भिन्नता में त्रुटिपूर्ण गणना आदि के कारण की गयी है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.20 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 1369.95 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 मशीनों के चलित घण्टों को लाग बुक में अवश्य अंकन कराया जाय जिसका सत्यापन प्रतिदिन सक्षम अधिकारी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.2 उपकरण एवं मशीनरी तथा अन्य कार्यो हेतु पेट्रोल, डीजल के क्रय के सम्बन्ध में पेट्रोल पम्प की फ्यूल पम्प से प्राप्त Electronic पर्ची को लाग बुक में चस्पा करते हुए उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस तक सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराया जाना अनिवार्य होगा।

5.3 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.4 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

5.5 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.6 Waste Disposal Management Rules-2016 में उल्लिखित पर्यावरण सम्बन्धी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.7 मा0 एन0जी0टी0 के मानकों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.8 कूडे के Processing उपरान्त end product की वास्तविक उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही भुगतान किया जाय।

5.9 योजना क्रियान्वयन में कोई सामाजिक/पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न हो, इस हेतु सभी Preventive measure लिये जाये तथा उनका शत–प्रतिशत अनुपालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5.10 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.10 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–5/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या \०\\ /735/शहरी विकास/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः २७, अगस्त, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)